



बिहार सरकार

बिहार सरकार
कार्यालय अनुमण्डल पदाधिकारी,
महाराजगंज, जिला-सिवान

दूरभाषः--06153.243491(कार्यालय)
मोबाईल नं०--9473191276
e-mail:-sdo.maharajganj@gmail.com

पत्रांक.....1138 / दिनांक 18-06-2024

प्रेषक,

अनुमण्डल पदाधिकारी,
महाराजगंज।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना।

विषय :-

विकास मित्र के रिक्त पद की नियुक्ति हेतु रोजगार सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।

महाशय,

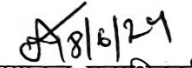
उपर्युक्त विषयक कहना है कि महाराजगंज अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत प्रखण्ड महाराजगंज के पंचायत देवरिया तथा भगवानपुर हाट के पंचायत ब्रह्मस्थान में विकास मित्र का पद रिक्त है जिसकी नियुक्ति हेतु दैनिक समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित होनी है।

अतः अनुरोध है कि पत्र के साथ संलग्न रोजगार सूचना प्रकाशित करवाने की कृपा की

जाय।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन


अनुमण्डल पदाधिकारी,
महाराजगंज।

कार्यालय, अनुमंडल
पदाधिकारी, महाराजगंज



(बिहार-सरकार)

दूरभाषसंख्या- 06153-243491
मोबाईल नं०-9473191276
ई-मेल-sdo.maharajganj@gmail.com

अल्प सूचना

महाराजगंज अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत प्रखण्ड महाराजगंज के पंचायत देवरिया तथा भगवानपुर हाट के पंचायत ब्रह्मस्थान में विकास मित्र के रिक्त पद पर अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में कार्य दिवस को संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

क्र०	गतिविधि	अवधि
1	प्रखण्ड में आवेदन पत्र प्राप्त।	दिनांक 29.06.2024 से दिनांक 06.07.2024
2	मेधा सूची का प्रकाशन।	08.07.2024
3	आपत्ति प्राप्त करना।	दिनांक 09.07.2024 से 16.07.2024
4	अंतिम चयन समिति का प्रकाशन।	19.07.2024
5	नियोजन पत्र वितरण/शपथ ग्रहण उन्मुखीकरण	20.07.2024

रिक्तियों की विवरणी :-

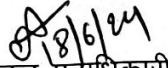
क्र०	प्रखण्ड/शहरी निकाय	पंचायत/वार्ड का नाम	रिक्तियों की संख्या	जाति बहुलता	कोटि आरक्षण
01	महाराजगंज	देवरिया	01	चमार	महिला
02	भगवानपुर हाट	ब्रह्मस्थान	01	चमार	महिला

चयन हेतु अर्हता :-

- आवेदन की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी। मैट्रिक में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन मेधा सूची के अनुरूप किया जायेगा तथा समान मेधा अंक रहने पर ज्यादा उम्र रहने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी। चयन में मैट्रिक या समकक्ष से उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जायेगा। मैट्रिक पास अभ्यर्थी नहीं मिलने पर नन मैट्रिक, नौवीं पास, आठवीं पास, सातवीं पास, छठी पास एवं पाँचवीं पास का नियोजन किया जा सकेगा।
- महिलाओं के लिए शैक्षणिक योग्यता नहीं मिलने पर साक्षर रहने पर भी चयन किया जा सकेगा। बशर्ते वे अक्षर अंचल योजना एवं स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़ी हो तथा ये सामाजिक कार्य में प्रगतिशील सक्रिय हो।
- महादलित आवेदक की उम्र दिनांक-01.01.2024 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष होगी।
- आवेदक महादलित परिवार से होगा। पंचायत/वार्ड समूह (कलस्टर)(शहरी) में जिस महादलित जाति की बहुलता होगी उसी जाति के अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा।
- जिस पंचायत/वार्ड समूह (कलस्टर)(शहरी) से विकास मित्र का चयन किया जाना है, वहीं के निवासी से आवेदन प्राप्त किया जायेगा एवं चयन किया जायेगा।

चयन की प्रक्रिया :-

- आवेदन विहित प्रपत्र में होना चाहिए। विहित प्रपत्र संबंधित प्रखंड कार्यालय/नगर परिषद्/नगर पंचायत कार्यालय, संबंधित नगर निगम तथा अनुमंडल कल्याण कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- आवेदन पत्र करने का स्थान संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी का कार्यालय/शहरी क्षेत्र के लिए संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी नगर निगम का कार्यालय होगा।
- वैसी स्थिति जब एक ही शैक्षणिक योग्यता के दो या उससे अधिक आवेदन प्राप्त होगी वैसी स्थिति में जिस आवेदक का उम्र सबसे कम हो जाने (जन्म तिथि के अनुसार) का चयन किया जायेगा।


अनुमंडल पदाधिकारी,
महाराजगंज।